फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 83 / 2021

तारीख दायरा 06.07.2021

उनवान

रामचन्द्र पुत्र श्री जगन्नाथ जाति नाथ निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादी

बनाम

1 शिवकरण पुत्र श्री जगन्नाथ जाति नाथ निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद।

2 राजस्थान सरकार जरिये लेंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद। – प्रतिवादीगण

कोर्ट फी / COURT FEE / भारत INDIA / दो रुपये TWO RUPEES / FOR COPYING FEES ONLY / Rs.2

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :– 05.01.2022

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादी सं.1)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री नरेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

ग्राम हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 743 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नंबर 801 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 740 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नंबर 800 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 1042 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नंबर 730 रकबा 0.61 हैक्टर आराजी मे राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार से काश्तकार घोषित किया जाता है –

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी रामचन्द्र :–

ग्राम ख.नं. रकबा

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

हींगी	730	0.61 में से 0.31 हैक्टर पश्चिमी
	1042	1.68 में से 0.84 हैक्टर दक्षिणी
	743	0.30 हैक्टर
	800	0.02 हैक्टर
कुल किता 4 की		कुल 1.47 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी क्र. 1 शिवकरण :--

ग्राम	ख.नं.	रकबा
हींगी	730	0.61 में से 0.30 हैक्टर पूर्वी
	1042	1.68 में से 0.84 हैक्टर उत्तरी
	740	0.33 हैक्टर
	801	0.02 हैक्टर
कुल किता 4 की		कुल 1.49 हैक्टर

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं.1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजलगान पृथक–पृथक अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद

क्रमांक -2022/210 दिनांक- 14/2/22

वास्ते- पटवारी हलका ढीगी

विषय- मि.न. 13/2022 इजराय की पालना बाबत।

उनवान- रामचन्द्र / शिवकरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में जेरकार उक्त प्रकरण में निर्णय डिक्री की पालना आपेक्षित है, जो कि आप द्वारा अभी तक भी नहीं भिजवाई गई है। जिसके अभाव में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः आप उक्त प्रकरण में पालना रिपोर्ट मय संबंधित रेकार्ड सहित अविलम्ब हो जरिये तहसील अन्दर 15 योम में आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चितता करें। पालना रिपोर्ट नियत समय अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आपके विरूद्ध विभागिय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

क्रमांक- /2021/ दिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ/पालनार्थ

1 तहसीलदार सांगोद/नायब तहसीलदार कनवास को भेजकर लेख है कि वांछित पालना रिपोर्ट नियत अवधि में कराई जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला- कोटा
सांगोद

13/2022

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक / LR / 2023 / 541 दिनांक– 20/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सांगोद।

विषयः– न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0 83/2021 उनवान रामचन्द्र / शिवचरण में जारी डिक्री दिनांक 06/7/21 की पालना में ग्राम दीगोद में नामान्तरकरण सं. 1198 दिनांक 13/4/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)
तहसील सांगोद जिला कोटा

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

ग्राम का नाम :- हींगी
पटवार हल्का :- हींगी
भू.अभि.नि. :- किशनपुरा
तहसील :- साँगोद
जिला :- कोटा

सम्वत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 348
खाता संख्या पुराना :- 324

काश्तकार का नाम:-

1. रामचन्द पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- पूर्ण जाति- नाथ सा. देह खातेदार

राहिन (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगोद,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1391/1042	0.8400	बारानी तृतीय	0.8400	4.20		स्वीक्रत नामांतरकरण : 1198 13/04/2022 न्याया. आदेश	
1393/730	0.3100	चाही द्वितीय	0.3100	8.37			
743	0.3000	चाही द्वितीय	0.3000	8.10			
800	0.0200	खेड़ा प्रथम	0.0200	0.32			
कुल खसरे - 4	1.4700		1.4700	20.9900			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

NIC